दिनांक – 04.01.2016 को उपायुक्त, लातेहार की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण एवं राजस्व कार्यो की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति- पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम उपायुक्त, लातेहार के द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही आरम्भ की गई :-

1. **अवैध जमाबन्दी** :- अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार/ महुआडांड़ एवं भूमि उपसमाहर्त्ता, लातेहार से उनके न्यायालय में लंबित अवैध जमाबन्दी रद्द करने से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई।
2. लैण्ड बैंक :- अपर समाहर्त्ता, लातेहार के द्वारा बताया गया की महुआडांड़ अंचल को छोड़कर सभी अंचल को लैण्ड बैंक की सत्यापित प्रति को जिले के वेवसाईट पर अपलोड कर दिया गया है। महुआडांड़ के अंचल अधिकारी एवं अंचल निरीक्षक को निदेश दिया गया की दिनांक- 09.01.2016 तक लैण्ड बैंक की सत्यापित विस्तृत भूमि विवरणी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि अविलम्ब जिले के वेवसाईट पर अपलोड किया जा सके।
3. किशोर न्याय बोर्ड :- (बाल संरक्षण गृह) बाल संरक्षण गृह हेतु भूमि चयन कर लिया गया है। चिन्हित भूमि अम्वाटीकर एवं रेहड़ा में अवस्थित है। अपर समाहर्त्ता के द्वारा बताया की चिन्हित भूमि के संबंध में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार से चिन्हित भूमि के उपयुक्त होने के संबंध में प्रतिवेदन मांग की गई है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर हस्तांतरण का अभिलेख आयुक्त को भेजी जायेगी।
4. **टैली आई चेकिंग सेन्टर** :- अंचल अधिकारी, बालूमाथ/ चन्दवा एवं बरवाडीह के द्वारा बताया गया की टैली आई चेकिंग सेन्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के ही परिसर में खोला जाना है।
5. ई-टाईप आवास :- ई-टाईप आवास के लिए अंचलाधिकारी, लातेहार के द्वारा भूमि हस्तांतरण का अभिलेख 33 डी0 का अनुशंसा के साथ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, लातेहार का भेज दिया गया है। साथ ही अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार के द्वारा याचित योजनाओं के लिए चिन्हित भूमि के संबंध में तथ्यपरक तुलनात्मक प्रतिवेदन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार को उपलब्ध कराते हुए इसकी प्रति उपायुक्त महोदय को देना सुनिश्चित करें।
6. पावर ग्रिड सब स्टेशन निर्माण, जलता :- जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, लातेहार के द्वारा बताया गया कि रैयती भूमि के अर्जन की प्रक्रिया के तहत् SIA किया जाना है जिसके लिए केन्द्रीय विश्व विद्यालय, झारखण्ड, रांची ब्रांबे को पत्र दिनांक- 04.12.2015 को प्रेषित किया गया है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को निदेश दिया ग़या की अधियाची विभाग से समन्वय स्थापित कर SIA के कार्य को अविलम्ब पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
7. सरकारी विभागों का भू-हस्तांतरण :- सभी अंचलाधिकारियों को निदेश दिया गया है कि अंचल स्तर पर लंबित सरकारी विभागों को भू-हस्तांतरण संबंधी अभिलेख/ प्रस्ताव अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करेंगे। मॉडल विद्यालय/ बालिका छात्रावास एवं बालिका आवासीय विद्यालय का निर्माण इत्यादि योजनाओं के लिए लंबित प्रस्ताव के संबंध में अंचलाधिकारियों के द्वारा बताया गया की एक सप्ताह के अंदर अभिलेख भेज दिया जायेगा। उपायुक्त महोदय के द्वारा स्पष्ट निदेश दिया गया की सरकार के नियम/संकल्प एवं आदेश के आलोक में कार्य करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि अनावश्यक पत्राचार की आवश्यकता नही हो।
8. उत्पाद विभाग :- उत्पाद अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि माह दिसम्बर 2015 तक वार्षिक लक्ष्य- 6.24 करोड़ के विरूद्व कुल- 3.66 करोड़ रूपये की राजस्व वसूली की गई है। उन्हें निदेश दिया गया कि अवैध शराब भट्ठी को बन्द कराना सुनिश्चित करें। अवैध रूप से कर रहे शराब के कारोबारियों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। सप्ताहिक लगने वाले हाट बाजार के दिन विशेष रूप से छापामारी करना सुनिश्चित करेंगे।

ज्ञापांक....../रा0 दिनांक......9..../01/2016

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारी /प्रतिनिधि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/ सरकार के प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

5.1.16

प्रभारी पदाधिकारी,
राजस्व शाखा, लातेहार।
5.1.16

5.1.16

अपर समाहर्त्ता,
लातेहार।

5.1.16

उपायुक्त, लातेहार।

ज्ञापांक....20.../रा0 दिनांक......9..../01/2016

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, खनन एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड रांची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

5.1.16

उपायुक्त, लातेहार।

प्रभारी पदा
5.1.16

5.1.16
अपर समाहर्त्ता
लातेहार